

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायकों का स्थानान्तरण सत्र-2026 हेतु सुगम से दुर्गम में स्थानान्तरण हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल विवरण

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	तैनाती स्थान	सुगम/दुर्गम	जन्म तिथि	जनपद	नियुक्ति आदेश की तिथि	विभाग में प्रथम कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	दिनांक से	दिनांक तक	31 मई 2025 तक कुल सुगम सेवा वर्ष माह दिन	कुल दुर्गम सेवा वर्ष माह दिन	नियुक्ति तिथि से कुल सेवा अवधि
1	श्रीमती कविता	जि०चि०आयुष विंग-रुद्रपुर	सुगम	20.03.1992	उ०सि०न०	24.03.2022	26.03.2022	26.03.2022	26.03.2022	31.05.2026	04 वर्ष 02 माह 05 दिन	-	04 वर्ष 02 माह 05 दिन
4	श्री विनोद सिंह राणा	जि०चि० आयुष विंग देहरादून	सुगम	02.09.1987	देहरादून	24.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	31.05.2026	04 वर्ष 02 माह 03 दिन	-	04 वर्ष 02 माह 03 दिन
2	श्रीमती नीशा भट्ट	आयुष विंग हरिद्वार	सुगम	10.02.1994	हरिद्वार	24.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	31.05.2026	04 वर्ष 02 माह 03 दिन	-	04 वर्ष 02 माह 03 दिन
5	कु० वैशाली जुयाल	जि०चि०आयुष विंग बौराड़ी	सुगम	18.03.2000	टिहरी	24.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022	31.05.2026	04 वर्ष 02 माह 03 दिन	-	04 वर्ष 02 माह 03 दिन
3	श्री अखिलेश भट्ट	जि०चि० आयुष विंग माजरा	सुगम	10.08.1991	चमोली	28.03.2022	28.03.2022	25.06.2025	28.03.2022	31.05.2026	0 वर्ष 11 माह 06 दिन	03 वर्ष 02 माह 28 दिन	04 वर्ष 02 माह 04 दिन
4	श्री बाल कुमार	जि०चि० आयुष विंग माजरा	सुगम	01.07.1994	चम्पावत	28.03.2022	28.03.2022	15.11.2025	28.03.2022	31.05.2026	0 वर्ष 06 माह 15 दिन	03 वर्ष 07 माह 15 दिन	04 वर्ष 02 माह 03 दिन
7	श्री बसंत कुमार	जि०चि० आयुष विंग मुनिकीरेती	सुगम	01.03.1984	पिथौरागढ़	04.04.2022	04.04.2022	28.11.2025	04.04.2022	31.05.2026	0 वर्ष 06 माह 03 दिन	03 वर्ष 07 माह 24 दिन	04 वर्ष 01 माह 27 दिन

1. सेवा विवरण/वरियता जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये उचित माध्यम से पत्राचार दिनांक-19.04.2026 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को सूचना उपलब्ध करायी जाये।
2. सेवा विवरण/वरियता में कार्मिक के वास्तविक रूप से तैनाती के आधार पर सूची तैयार की गयी है।
3. वांछित विकल्प कार्मिक द्वारा प्रेषित विकल्प पत्र के अनुसार अंकित किये जायेंगे। यथासमय मांगे जाने पर उचित माध्यम ही विकल्प प्रस्तुत करें।